



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केंप, जबलपुर (13)  
 पुरीक्षण क्र. ~~गिरणी-4747/2018~~ गिरणी-4747/2018/होशंगाबाद/भू.र

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता :- श्रीमति कमलेश बाई पत्नि स्व. अशर्फी लाल चौधरी

पुनरीक्षण  
 18 JUL 2018  
 अधीक्षक  
 कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

द्वारा नैसर्गिक संरक्षक (भाई) मुकेश वर्मा पिता श्री  
 महादेव प्रसाद उम्र 35 वर्ष, निवासी- ग्राम  
 भट्टी तहसील, इटारसी, जिला होशंगाबाद

विरुद्ध

अनावेदकगण:- 1 लक्ष्मीकांत पिता श्री पुरुषोत्तम चौधरी निवासी-ग्राम

625

तीरबड, तहसील, इटारसी, जिला होशंगाबाद

2 श्रीमति शाहिदा खातून पत्नि जनवा अब्दुल शकील  
 निवासी - ग्राम दमदम, तहसील, इटारसी, जिला  
 होशंगाबाद (म.प्र.)

3 प्रभुदयाल पिता हेमराज कुर्मी निवासी - आई. टी. आई.  
 के सामने, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त नमर्दापुरम संभाग होशंगाबाद के  
 प्रकरण क्र. 181/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 14/09/2015  
 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण पेश करता है :-



*[Handwritten signature]*



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4747/2018/होशंगाबाद/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-18	<p>आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्रहय किया जाता है ।</p> <p> जीउर</p> <p> अध्यक्ष</p>	